कृषि विज्ञान केन्द्र, जशपुर

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

पोस्ट ऑफिस-शेखरपुर, व्हाया - लुड़ेग, जिला - जशपुर (छ.ग.) 496220

क्र. / कृ.वि.के. / स्था. / MCAD / नियुक्ति / 2026–27 / 279 डुमरबहार, दिनांक : 23/10/2026

–: चयन/प्रतीक्षा सूची :–

चयन समिति की अनुशंसा उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थी को **यंग प्रोफेशनल** के पद पर संविदा के माध्यम से निश्चित वेतन (रू. 30,000.00 प्रति माह) पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित (कालम नं. 04) पदस्थापना स्थल पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

चयन सूची

क्र	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
01	**किरण साहू** आत्मज श्री उत्तम कुमार साहू, ग्राम+पोस्ट ऑफिस– बागबहरा, जिला – महासमुन्द (छ.ग.) 493449	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि विज्ञान केन्द्र, डुमरबहार, जशपुर (छ.ग.) 496220

प्रतीक्षा सूची

क्र	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी
1	2	3
01	**अनिशा जेण्ड्रे,** आत्मज श्री सत्यानंद जेण्ड्रे, जेल रोड़, बेमचा भांठा, वर्धमान नगर, जिला–महासमुंद (छ.ग.) पिन 493445	अनूसूचित जाति
02	**आयशा प्रियंका बेक,** आत्मज श्री अनिल बेक, नवापारा, घोलेंग, जिला–जशपुर (छ.ग.) पिन 496338	अनूसूचित जनजाति
03	**श्री केशव कुमार खुंटिया,** आत्मज श्री फणीधर खुंटिया, चौराआमा, पोस्ट–घरजियाबथान, तहसील–पत्थलगांव,जिला–जशपुर (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग
04	**श्री हेमंत कुमार चौधरी** आत्मज श्री धरम सिंह चौधरी, नगर पंचायत कोतबा, जिला–जशपुर (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग
05	**श्री अनंत कुमार राम** आत्मज श्री महेश्वर राम, मकान नं. 850, सुखबासूपारा, तिलकनगर, कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग

संविदा नियुक्ति की शर्तें :–

I. संविदा नियुक्ति हेतु अधिकृत प्राधिकारी – चयन समिति की अनुशंसा उपरांत वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख द्वारा नियुक्ति आदेश प्रसारित किया जावेगां।

2. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष के लिए की जावेगी। तत्पश्चात संतोषप्रद स्थिति होने पर अगले वर्ष के लिए अनुसंशित समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

3. संविदा वेतन एवं भत्ते – संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को परियोजना में निर्धारित एकमुस्त वेतन प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त टी.ए. (क्षेत्र भ्रमण के आधार पर) प्राप्त होगा।

4. निर्धारित आयु – उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित आयु आवेदन के अंतिम दिनांक को अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।

III. Young Professional पद हेतु अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. एवं महिला अभियर्थियों हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार उच्च आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

IV. समान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय माहनदी भवन, नवा–रायपुर के परिपत्र क्रमांक F 3-21201511-3 Dated: 23.01.2017 अनुसार छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी अभियार्थियों हेतु अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। किन्तु सभी प्रकार के छूट के पश्चात अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. चयन सूची – चयन समिति द्वारा स्कोर कार्ड के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्यता के क्रम में एक चयन सुची तैयार की जावेगी। चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जावेगी। चयन/प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रथम आदेश प्रसारित होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए होगी। चयन सूची से चयनित अभ्यर्थी द्वारा पदग्रहण नहीं करने अथवा कार्य छोड़ देने /इस्तीफा देने के फलस्वरूप उद्भुत रिक्त पद पर प्रतीक्षा सूची से प्रवीण्यता के आधार पर नियुक्ति दी जावेगी।

6. स्कोर कार्ड यंग प्रोफेशनल और प्रक्षेत्र सहायक के पद हेतु स्कोर कार्ड तैयार किया गया है। पात्र उम्मीदवारों में से चयन समिति द्वारा स्कोर कार्ड एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर ही उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जावेंगा।

7. आवेदन पत्रों की स्क्रीनिग एवं स्कोरिंग – निर्धारित अवधि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की स्क्रीनिग एवं स्कोरिंग हेतु एक समिति गठित की जावेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जावेंगे। अवकाश के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित नियमों का पालन किया जावेगा।

9. आरक्षण – किसी पद के लिए यदि एक से अधिक समान पद विज्ञापित होते हैं तो छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। आरक्षित श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा।

10. विशेष – किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमीतिकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा। उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट नहीं दी जावेगी।

11. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर 15 दिन का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार अभ्यर्थी 15 दिन पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा कर अपना त्यागपत्र दे सकता है।

12. यह नियुक्ति समृद्धि परियोजना (MCAD) के अंतर्गत की जा रही है परियोजना की आवश्यकता, बजट की उपलब्धता एवं कार्य निष्पादन के संतोषजनक मूल्यांकन के आधार पर अवधि अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यह नियुक्तियां केवल परियोजना अवधि तक के लिए ही होगा एवं परियोजना समाप्त होने पर नियुक्यिां स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।

13. चयनित अभ्यर्थीयों के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बीमा होना चाहिए।

14. चयनित अभ्यर्थीयों का मासिक वेतन आहरण परियोजना के नोडल अधिकारी के अद्योहस्तारक्षित प्रगति पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक के आधार पर **कृषि विज्ञान केन्द्र जशपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख** द्वारा किया जावेगा।

इन नियमों की व्याख्या अथवा किसी कठिनाई के निराकरण के लिये निदेशक विस्तार सेवाएं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर सक्षम होगें।

23/10/26

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

वरिष्ठ वैज्ञानिक एव प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र, जशपुर

पृ. क्र. / कृ.वि.के. / स्था / MCAD / नियुक्ति / 2026–27 / 280 डुमरबहार, दिनांक : 23/10/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1) कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
2) संचालक अनुसंधान सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3) निदेशक विस्तार सेवाएं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
4) माननीय, कुलपतिजी के निज सहायक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
5) कृषि विज्ञान केन्द्र, डुमरबहार, जशपुर (छ.ग.), सूचनापटल में अवलोकनार्थ।
6) सम्बंधित की ओर सूचनार्थ।

23/10/26

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

वरिष्ठ वैज्ञानिक एव प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र, जशपुर